भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2583
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

विद्यालयों में वित्तीय साक्षरता शिक्षा

†2583. श्री मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश के विद्यालयों में वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य के विद्यालयों में वित्तीय शिक्षा के कार्यान्वयन की प्रस्तावित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(ग) सम्पूर्ण देश, विशेषकर आंन्ध्र प्रदेश और प्रकाशम जिले में सरकार ने कुल कितने विद्यालयों और शिक्षकों के लिए वित्तीय साक्षरता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं;
(घ) सम्पूर्ण देश में बच्चों के लिए विद्यालयों में वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रमों हेतु आबंटित और उपयोग की गई कुल निधि का आन्ध्र पेदश और प्रकाशम जिले सहित राज्य और जिलावार ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार का विद्यालयों में वित्तीय शिक्षा को अनिवार्य बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में वित्तीय साक्षरता को शिक्षार्थियों के बीच बहु-कौशल निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यह स्कूली पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाता है ताकि शिक्षार्थियों को 21वीं सदी के कौशल से सुसज्जित किया जा सके। वित्तीय साक्षरता के घटकों को स्कूलों में विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे कि धन और बैंकिंग, बीमा, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग आदि में अर्थशास्त्र और व्यवसाय का अध्ययन गहन तरीके से पढ़ाया जाता है, किया जाता है। वित्तीय साक्षरता के घटकों को स्कूलों में एकीकृत तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें धन का मूल्य, मुद्रा, बैंक, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन, यूपीआई आदि घटक शामिल होते हैं, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन में स्कूली

बच्चों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सजग वित्तीय निर्णय लेने के लिए आयु-उपयुक्त तरीके से तैयार किया जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले घटकों में से एक है।

'समग्र शिक्षा' के व्यावसायिक शिक्षा घटक के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं। अब तक की स्थिति के अनुसार, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए कौशल विषय के रूप में शुरू करने के लिए 138 नौकरी भूमिकाओं को मंजूरी दी गई है। वित्तीय साक्षरता व्यावसायिक शिक्षा द्वारा कवर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र के अंतर्गत, इस घटक के अंतर्गत इस विभाग द्वारा 4 नौकरी भूमिकाएं अनुमोदित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:

i. सूक्ष्म वित्त कार्यकारी,
ii. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट/फेसिलिटेटर,
iii. एमआईएस डेटा एनालिस्ट - वित्तीय सेवाएं,
iv. ग्राहक सेवा सहयोगी - वित्तीय सेवाएं

केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के अनुसार धनराशि प्रदान करती है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधारित होती है। इसके अलावा, इस योजना को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनके स्कूल शिक्षा विभागों और स्कूल शिक्षा बोर्डों के माध्यम से स्कूलों में लागू किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिले-वार निधियां जारी न कर के एकमुश्त निधियां जारी की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आगे इस योजना के तहत प्रदान किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन के आधार पर जिला, ब्लॉक और सरकारी स्कूलों को निधियां जारी करते हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में समग्र शिक्षा के अंतर्गत निधियों के आवंटन और उपयोग से संबंधित डेटा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

रुपये करोड़ में

वर्ष	आवंटन	उपयोग
2023-24	3872.86	2650.99
2024-25	3557.27	1366.85

*****